

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय समाविष्ट हैं। अध्याय—I में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप सम्मिलित हैं, अध्याय-II में दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर प्रतिवेदन एवं तीन लेखापरीक्षाओं जैसे दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में मीटिंग प्रणाली की लेखापरीक्षा, उत्तर प्रदेश जल निगम के निर्माण एवं परिकल्प सेवायें खण्ड द्वारा चयनित शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के निर्माण पर लेखापरीक्षा, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा देयकों की वसूली की लेखापरीक्षा एवं उत्तर प्रदेश राज्य सङ्क परिवहन निगम की कार्यात्मकता पर निष्पादन लेखापरीक्षा पर एक अनुसरण लेखापरीक्षा सम्मिलित हैं। अध्याय-III में सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों पर 11 संव्यवहार लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्मिलित हैं। लेखापरीक्षा के परिणामों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 2,526.92 करोड़ का है।

अध्याय—I : राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 तथा 143 से अधिशासित होती है। सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के द्वारा भी की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से शासित होती है। 31 मार्च 2016 को उत्तर प्रदेश राज्य में 65 कार्यरत पीएसयू (58 सरकारी कम्पनियाँ एवं सात सांविधिक निगम) और 38 अकार्यरत पीएसयू (सभी सरकारी कम्पनियाँ) थे। 30 सितम्बर 2016 तक कार्यरत पीएसयू ने, अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, ₹ 85,281.53 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया एवं कुल ₹ 17,789.91 करोड़ की हानि वहन की।

(प्रस्तर 1.1 एवं 1.2)

राज्य पीएसयू में निवेश

31 मार्च 2016 को 103 पीएसयू में ₹ 1,96,277.76 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण) था। यह 2011–12 के ₹ 97,867.69 करोड़ से 200.55 प्रतिशत बढ़कर 2015–16 में ₹ 1,96,277.76 करोड़ हो गया, जो मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र में निवेश वृद्धि के कारण था, जो कि 2015–16 में कुल निवेश का 99.46 प्रतिशत लेखांकित किया गया। 2015–16 के दौरान सरकार ने अंश पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में ₹ 19,794.16 करोड़ का योगदान पीएसयू को दिया।

(प्रस्तर 1.6 एवं 1.8)

अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार पीएसयू का निष्पादन

अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, 65 कार्यरत पीएसयू में से, 33 पीएसयू ने ₹ 707.52 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 24 पीएसयू ने ₹ 18,497.43 करोड़ की हानि वहन की। चार कार्यरत पीएसयू ने अपने प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किये जबकि चार कार्यरत पीएसयू ने “न लाभ न हानि” के आधार पर अपने लेखे तैयार किये।

(प्रस्तर 1.16)

लेखा टिप्पणियाँ

पीएसयू के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। अक्टूबर 2015 से सितम्बर 2016 के दौरान 31 पीएसयू द्वारा अन्तिमीकृत किये गये 44 लेखाओं में से 42 लेखाओं पर सांविधिक अंकेक्षकों ने क्वालीफाइड प्रमाणपत्र, एक लेखा पर एडवर्स प्रमाणपत्र तथा एक

लेखा पर डिस्क्लेमर दिया। 26 लेखाओं में 95 दृष्टान्त ऐसे थे जहाँ लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किया गया था। अक्टूबर 2015 से सितम्बर 2016 के दौरान चार कार्यरत सांविधिक निगमों के चार लेखे अन्तिमीकृत किये गये थे। इनमें से दो लेखे जहाँ भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक एकल अंकेक्षक हैं, एक लेखा पर क्वालीफाइड प्रमाणपत्र एवं दूसरे लेखा पर एडवर्स प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। शेष दो लेखाओं के लिए, सांविधिक अंकेक्षकों ने एक लेखा पर क्वालीफाइड प्रमाणपत्र एवं दूसरे लेखा पर एडवर्स प्रमाण पत्र दिया। दो लेखाओं में पाँच दृष्टान्त ऐसे थे जहाँ लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 1.21 एवं 1.22)

लेखाओं के लम्बित अन्तिमीकरण

पैसठ कार्यरत पीएसयू में से, केवल तीन पीएसयू ने वर्ष 2015–16 के लिये लेखे अन्तिमीकृत किये जबकि सितम्बर 2016 तक 62 पीएसयू के 266 लेखे एक से 20 वर्ष की अवधि से लम्बित थे। 38 अकार्यरत पीएसयू में से, 12 पीएसयू परिसमापन की प्रक्रिया में थे और शेष 26 पीएसयू में, एक से 33 वर्ष की अवधि के 422 लेखे बकाया थे। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान नौ कार्यरत पीएसयू में ₹ 19,794.16 करोड़ (इकिटी: ₹ 19,251.33 करोड़, ऋण: ₹ 162.73 करोड़, अनुदान: ₹ 320.93 करोड़ तथा सब्सिडी: ₹ 59.17 करोड़) का निवेश किया, जिनके लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं किया गया था। लेखाओं के अन्तिमीकरण तथा उनकी पश्चात्वर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निवेश एवं व्यय सही तरीके से लेखांकित किये गये थे तथा जिस उद्देश्य हेतु धनराशि निवेशित की गयी थी वह प्राप्त हुआ या नहीं। इस प्रकार, ऐसे पीएसयू में सरकार का निवेश राज्य विधानमंडल के नियंत्रण से बाहर रहा।

(प्रस्तर 1.10, 1.11 एवं 1.12)

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

छ: निगमों के दो से छ: वर्ष के लेखाओं की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। यह सांविधिक निगमों पर विधायी नियंत्रण को कमजोर एवं उनकी वित्तीय जवाबदेही को विरल करता है।

(प्रस्तर 1.14)

अकार्यरत पीएसयू का समापन

छब्बीस पीएसयू चार से 41 वर्षों तक से अकार्यरत हैं। इन कम्पनियों को बन्द करने के राज्य सरकार के निर्णय के बाद भी, समापन की प्रक्रिया अभी तक प्रारम्भ नहीं हुयी है।

(प्रस्तर 1.20)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ, राज्य विधानमण्डल में प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के दो से तीन माह के अन्दर, सभी प्रशासकीय विभागों द्वारा प्रेषित करना अपेक्षित था। वर्ष 2010–11 से 2014–15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक/पीएसयू) से सम्बन्धित 73 प्रस्तरों एवं 13 निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से, 10 विभागों से सम्बन्धित, 36 प्रस्तरों एवं 10 निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रतीक्षित थीं (अक्टूबर 2016)।

(प्रस्तर 1.24)

अध्याय-II: सरकारी कम्पनियों एवं साविधिक निगमों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षायें

2.1 पुनर्गठित-त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम पर निष्पादन लेखापरीक्षा

ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) द्वारा त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) को ग्यारहवीं योजना के दौरान “पुनर्गठित-त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी)” के रूप में संशोधित (सितम्बर 2008) किया गया। आर-एपीडीआरपी का मुख्य उद्देश्य समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एण्ड सी) हानियों को कम करना, ऊर्जा क्षेत्र में वाणिज्यिक व्यवहार्यता लाना और उपभोक्ता संतुष्टि को बढ़ाना था। उत्तर प्रदेश में यह योजना उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) एवं विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के द्वारा 168 शहरों में कार्यान्वित की गयी।

यह योजना भाग-ए एवं भाग-बी में विभाजित थी। भाग-ए में (i) बेसलाइन आँकड़ों तथा ऊर्जा लेखांकन/लेखापरीक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अप्लीकेशन्स एवं आईटी आधारित उपभोक्ता सेवा केन्द्र की प्रतिस्थापना, (ii) बड़े शहरों में पर्यवेक्षकीय नियंत्रण एवं आंकड़ा अधिग्रहण प्रणाली/वितरण प्रबंधन प्रणाली (स्काडा/डीएमएस) की स्थापना शामिल थी तथा भाग-बी में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के नियमित कार्य शामिल थे।

यह योजना, परियोजनाओं की स्वीकृति (जून 2009) से तीन वर्ष के अन्दर पूर्ण की जानी थी, परन्तु इसे भाग-ए (i) के लिए मार्च 2017 तक एवं भाग-ए (ii) स्काडा और भाग-बी के लिए मई 2017 तक विस्तारित कर दिया गया था।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा नीचे की गयी है:

योजना का भाग-ए (i)

योजना के भाग-ए के अन्तर्गत, परियोजनाओं के लिए 100 प्रतिशत निधि व्याज सहित ऋण के रूप में जीओआई द्वारा उपलब्ध करायी जानी थी जो कि एक बार वांकित प्रणाली का प्रतिस्थापन पूर्ण हो जाने एवं स्वतंत्र एजेंसी द्वारा सत्यापित कर दिये जाने के उपरान्त अनुदान में परिवर्तित हो जानी थी।

योजना का भाग-ए ₹ 775.10 करोड़ की स्वीकृत लागत से 168 शहरों में कार्यान्वित किया गया जिसमें से मार्च 2016 तक ₹ 508.01 करोड़ का व्यय किया गया। 43 चयनित शहरों में यह देखा गया कि भाग-ए के अन्तर्गत आईटी सक्षम प्रणाली सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसी (आईटीआईए) द्वारा कार्य सम्पूर्ण होने की निर्धारित अवधि से पाँच वर्ष समाप्त होने के उपरान्त भी पूर्ण नहीं किया गया। हालांकि, सभी शहरों में परियोजनाओं को गो-लाइव घोषित किया जा चुका था।

- चूंकि आईटी सक्षम प्रणाली पूर्ण नहीं थी, अभी तक (अक्टूबर 2016) बेसलाइन आँकड़ों को पावर फाईनेन्स कार्पोरेशन (पीएफसी) द्वारा नियुक्त तृतीय पक्षीय स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसी (टीपीआईईए) द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका था। सभी शहरों के गो-लाइव (जून 2015) घोषित किये जाने के बाद भी प्रणाली जनित एटी एण्ड सी हानियां अनियमित एवं जुलाई 2015 से जुलाई 2016 के दौरान (-) 99.83 प्रतिशत से 99.92 प्रतिशत की सीमा में थीं। इसलिये विस्तारित अवधि (मार्च 2017 तक) में योजना के पूर्ण होने एवं जीओआई से प्राप्त ₹ 474.50 करोड़ ऋण का अनुदान में परिवर्तन की संभावना क्षीण है।

(प्रस्तर 2.1.12)

- डिस्कॉम्स ने नेटवर्क बैंडविड्थ सेवा प्रदाता (एनबीएसपी) को शहरों में आंशिक संयोजकता के लिए ₹ 8.98 करोड़ का अनियमित भुगतान किया, जबकि भुगतान एक शहर

में सभी लिंक के सफल संयोजकता पर किया जाना था। लेखापरीक्षा द्वारा किये गए सर्वेक्षण में खराब एनबीएसपी सेवाओं से सम्बन्धित तथ्य की पुष्टि लाभार्थी डिस्कॉम्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा भी की गई।

(प्रस्तर 2.1.13)

- मीटर डाटा अधिग्रहण प्रणाली (एमडीएएस) का मीटर आँकड़ों को बिना मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से प्राप्त करने का उद्देश्य असफल रहा क्योंकि 18 प्रतिशत उपकेन्द्र स्वचालित रूप से आँकड़ों को संचारित नहीं कर रहे थे एवं मार्च 2016 तक आठ प्रतिशत फीडर्स एवं 57 प्रतिशत वितरण ट्रान्सफॉर्मर्स (डीटी) को एमडीएएस में अद्यतन नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 2.1.14)

- डीटी पर स्थापित 55,751 मोडेम में से 31 मार्च 2016 तक केवल 11,933 मोडेम (16 प्रतिशत डीटी) से ही आँकड़ों का संचारण हो रहा था। आँकड़ों के संचारण में त्रुटि के कारण, डिस्कॉम्स ऊर्जा आकड़ों के अंतर को भरने के लिए हस्तचालित प्रविष्टियाँ करने को मजबूर थे, इस प्रकार, ऊर्जा लेखांकन / लेखापरीक्षा में मानव हस्तक्षेप को समाप्त करने का उद्देश्य असफल रहा।

(प्रस्तर 2.1.15)

- ग्राहक सेवा केन्द्र के द्वारा जनित सूचनाएं 'सिस्टम रिकायर्मेंट स्पेसीफिकेशन' के अनुरूप नहीं थीं एवं शिकायतों की स्थिति, आयु एवं लंबित रहने के स्तर के लिए निर्धारित सूचनाएं जनित नहीं की जा रही थीं।

(प्रस्तर 2.1.17)

भाग—ए (ii) पर्यवेक्षकीय नियंत्रण और आंकड़ा अधिग्रहण प्रणाली

स्काडा का कार्यान्वयन योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार 12 शहरों में ₹ 280.81 करोड़ की स्वीकृत लागत से किया जाना था। परियोजना में कोई भौतिक प्रगति चार वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी नहीं हुयी एवं इसका मई 2017 तक विस्तारित अवधि में भी पूर्ण होना संभव नहीं होगा; अतः ₹ 79.96 करोड़ के ऋण का अनुदान में परिवर्तन होना अननुमन्य होगा।

(प्रस्तर 2.1.25)

योजना का भाग—बी

योजना का भाग—बी 167 शहरों¹ में ₹ 6,915.57 करोड़ की स्वीकृत लागत के साथ कार्यान्वयित किया गया था जिसमें से मार्च 2016 तक ₹ 3,239.12 करोड़ का व्यय किया गया। हालांकि, समग्र भौतिक प्रगति छः वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी केवल 56.65 प्रतिशत थी। मात्र एक शहर इटावा मार्च 2016 तक पूर्ण किया गया था।

- सभी शहरों को गो—लाइव घोषित करने के उपरान्त भी डिस्कॉम्स की एटी एण्ड सी हानियां जो आधार वर्ष 2009 के लिए 23.38 से 34.92 प्रतिशत की सीमा में थीं वह बढ़कर 33.04 से 45.95 प्रतिशत (जुलाई 2015 से जुलाई 2016) हो गयीं। एक पूर्ण शहर, जो कि इटावा था, में यह हानि 65.71 प्रतिशत (फरवरी 2013 से अप्रैल 2013) से बढ़कर जुलाई 2016 में 73.16 प्रतिशत हो गयी। वस्तुतः सभी चार डिस्कॉम्स में, एटी एण्ड सी हानियां,

¹ 168 शहरों में से, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा नोएडा शहर को भाग—बी कार्य के क्रियान्वयन हेतु चयन नहीं किया गया था, जैसा कि वहां पर प्रणाली सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता नहीं थी।

इनके अन्तर्गत आने वाले शहरों के गो—लाइव घोषित होने के बाद बढ़ गयीं। इस प्रकार, ₹ 3,556.24 करोड़ के ऋण का ₹ 1,778.12 करोड़ (ऋण का 50 प्रतिशत) के अनुदान में परिवर्तित होने की सम्भावना क्षीण प्रतीत होती है।

(प्रस्तर 2.1.28)

- बयालीस शहरों में से 33 शहरों में, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुमोदन की दिनांक से कार्य आवंटन में 18 से 45 माह तक के विलम्ब एवं कार्यक्षेत्र के विचलन के परिणामस्वरूप लागत में ₹ 737.88 करोड़ की वृद्धि हुई।

(प्रस्तर 2.1.36)

- मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, टर्नकी ठेकेदार (टीकेसी) को कार्य करने का प्रस्ताव दरों की वैधता अवधि के अन्दर देने में असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप योजना पर ₹ 134.33 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा।

(प्रस्तर 2.1.37)

- केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों (दिसम्बर 2007) के अनुसार, बैंक गारंटी (बीजी) का सत्यापन स्वीकृति से पहले किया जाना चाहिए। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने सीवीसी के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, टीकेसी से बैंक से सत्यापन के बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी की ₹ 14.32 करोड़ की बीजी स्वीकार कर लिया। अनुवर्ती जाँच (मई 2015) के दौरान यह पता चला कि बीजी नकली थीं। परिणामस्वरूप, यद्यपि अनुबंध को जुलाई 2015 में समाप्त कर दिया गया था, बीजी को भुनाया नहीं जा सका।

(प्रस्तर 2.1.38)

- आर—एपीडीआरपी के अन्तर्गत कन्नौज शहर में पार्ट—बी का कार्य अप्रैल 2015 में बंद कर दिया गया क्योंकि जीओयूपी ने, बिना कोई कारण बताये, उपरगामी विद्युत प्रणाली को आर—एपीडीआरपी योजना के स्थान पर भूमिगत प्रणाली में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत परिवर्तित कराने का निर्णय (अप्रैल 2015) लिया। हालांकि, डीवीवीएनएल के निदेशक मण्डल ने इस परिवर्तन के लिए शहर की राजनीतिक संवेदनशीलता का कारण बताते हुये योजना के लिए डीपीआर तैयार किया। इस प्रकार, कन्नौज शहर में उपरगामी लाइनों के निर्माण की अनुचित योजना के परिणामस्वरूप उपरगामी लाइनों के निर्माण में ₹ 3.10 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया।

(प्रस्तर 2.1.40)

- डिस्कॉम्स छ: शहरों में टीकेसी को 14 से 37 माह बीत जाने के उपरान्त भी 20 उपकेन्द्रों के लिए भूमि मार्च 2016 तक उपलब्ध कराने में असफल रहा। इसके अतिरिक्त, चार शहरों में सम्बन्धित कार्यों के लंबित रहने के कारण छ: उपकेन्द्रों को मौजूदा पुरानी लाइनों से ऊर्जाकृत करना पड़ा। इस तथ्य की पुष्टि लखनऊ शहर में संयुक्त भौतिक निरीक्षण के द्वारा की गई।

(प्रस्तर 2.1.41 से 2.1.42)

2.2 उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड की विद्युत शाखा की कार्यात्मकता पर निष्पादन लेखापरीक्षा

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) सिविल और विद्युत कार्य सम्पादित करता है। 26 विद्युत इकाइयों (इकाइयों) द्वारा ₹ 4,006.83 करोड़ के 957 विद्युत कार्य

सम्पादित किये गये। आठ इकाइयों ने, जिनकी लेखापरीक्षा में नमूना जाँच की गई, ₹ 2,303.95 करोड़ मूल्य के 481 कार्य सम्पादित किया जिनमें से ₹ 804.56 करोड़ की लागत पर 273 कार्य पूर्ण किये गये और 208 कार्य प्रगति पर थे जिन पर 2011–12 से 2015–16 के दौरान ₹ 1499.39 करोड़ का व्यय हुआ था।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा नीचे की गयी है:

- कम्पनी ने उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) / ऊर्जा वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) द्वारा प्रदत्त उपकेन्द्रों/केबिल बिछाने के 88 कार्य सम्पादित किया। इनमें से, एक महीने से चार साल और चार महीने तक के विलम्ब के साथ मार्च 2016 के अंत तक 42 कार्य पूर्ण कर लिए गये और 46 कार्य प्रगति पर थे। कार्यों के पूर्ण होने में विलम्ब होने के परिणामस्वरूप, 88 कार्यों पर व्यय की गई ₹ 1,155.12 करोड़ की धनराशि विलम्बित अवधि के लिए अवरुद्ध रही। क्रियान्वयन की धीमी गति का मुख्य कारण ग्राहकों द्वारा समय पर धन अवमुक्त करने के बावजूद उपठेकेदारों द्वारा कार्यस्थल पर मानवशक्ति की अपर्याप्त तैनाती, था। लेखापरीक्षा द्वारा लाभार्थी सर्वे के दौरान इन तथ्यों की पुष्टि ग्राहकों द्वारा की गई।

अन्य निक्षेप कार्यों के विद्युत कार्यों से सम्बन्धित ₹ 867.30 करोड़ मूल्य के 83 कार्यों के पूर्ण होने की अवधि उल्लिखित नहीं थी एवं इनको क्रियान्वित करने में दो वर्ष से 13 वर्ष का समय लगा।

(प्रस्तर 2.2.9, 2.2.19, 2.2.28, 2.2.36 और 2.2.37)

- दरों की विवेकपूर्णता सुनिश्चित करने में विफल रहने के कारण, कम्पनी ने उच्च दरों पर उपठेकेदारों से अनुबन्ध करके ₹ 78.55 करोड़ का परिहार्य व्यय किया एवं 2011–12 से 2015–16 के दौरान उच्च दरों पर सामग्री क्रय के कारण ₹ 3.71 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया जिससे इसके ग्राहकों अर्थात् डिस्कॉम्स, यूपीपीटीसीएल और सरकारी विभागों पर वित्तीय भार पड़ा।

(प्रस्तर 2.2.20, 2.2.38 और 2.2.39)

- केन्द्रीय सरकंता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देश (अक्टूबर 1997, अप्रैल 2007 और फरवरी 2011) प्रावधान करते हैं कि मोबिलाइजेशन अग्रिम देने का प्रावधान निविदा प्रपत्र में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए। जहाँ यह दिया जाना है, यह ब्याज सहित होना चाहिए। कम्पनी के महाप्रबंधकों, वित्तीय सलाहकार और वित्तीय नियंत्रक द्वारा सीवीसी के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहने के कारण और कम्पनी के मैनुअल में उल्लिखित उनके द्वारा जाँच के अभाव में, आठ इकाइयों के परियोजना प्रभारियों द्वारा उपठेकेदारों को ₹ 142.03 करोड़ का अनियमित ब्याज रहित मोबिलाइजेशन अग्रिम देने में परिणत हुआ जिससे ₹ 21.90 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.2.21)

- इकाइयों ने, मैनुअल और जीएफआर के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उपकेन्द्रों के दो कार्य बिना निविदा आमन्त्रित किये उपठेकेदारों को और 81 अन्य कार्य बिना उचित निविदा प्रणाली का अनुपालन किये ही प्रदान कर दिया। अग्रेतर, इकाइयों ने 2011–12 से 2015–16 के दौरान बिना खुली निविदा आमंत्रण के आपूर्ति आदेश के द्वारा ₹ 19.67 करोड़ का क्रय और ₹ 173.25 करोड़ के 68 कार्य कार्यादेशों के माध्यम से क्रियान्वित किया।

(प्रस्तर 2.2.27 और 2.2.42)

- संयुक्त भौतिक सत्यापन से प्रदर्शित हुआ कि तीन इकाइयाँ वास्तविक आवश्यकता के अनुसार सामग्री की सही मात्रा का आंकलन करने में असफल रहीं। परिणामस्वरूप, पाँच

उपकेन्द्रों के निर्माण में वास्तविक आवश्यकता से छः से 88 प्रतिशत अधिक ₹ 55.22 लाख मूल्य के कंट्रोल केबिल, पावर केबिल और कंडक्टर खरीदे गये।

(प्रस्तर 2.2.32)

- कम्पनी ने प्राक्कलन में परियोजना अवधि के लिए लागत वृद्धि हेतु प्रावधान करने के उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के निर्णय को लागू नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप 54 कार्यों के प्रकरणों में ₹ 216.16 करोड़ का लागत अतिरेक हुआ।

(प्रस्तर 2.2.37)

- कम्पनी लक्ष्यों को भौतिक रूप में निर्धारण एवं अनुश्रवण करने में विफल रही। अग्रेतर, इसने फील्ड इकाइयों से इनपुट प्राप्त किए बिना वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये क्योंकि 15 से 18 अंचलों में से छः से 13 अंचलों ने 2011–12 से 2015–16 के दौरान आवश्यक सूचनाएं प्रेषित नहीं किया।

(प्रस्तर 2.2.9)

- कम्पनी ने प्रबन्ध निदेशक/निदेशक मण्डल की अनुमति प्राप्त किये बिना 10 से 30 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के विरुद्ध 33.17 से 56.51 प्रतिशत कार्य उपठेकेदारों के माध्यम से क्रियान्वित करवाया।

(प्रस्तर 2.2.12)

- कार्य बिना तकनीकी स्वीकृति प्राप्ति के प्रारम्भ किये गये। जबकि 106 कार्यों की तकनीकी स्वीकृतियाँ कार्य आरम्भ करने के पश्चात एक माह से 15 वर्षों तक के विलम्ब से प्राप्त की गयीं, 241 कार्यों में छः माह से 18 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त अभी तक (मार्च 2016) यह प्राप्त नहीं की गयी।

(प्रस्तर 2.2.13)

- मैनुअल के प्रावधानों के उल्लंघन में आठ इकाइयों ने 116 कार्यों पर प्राप्त निधियों से ₹ 59.33 करोड़ का अधिक व्यय किया।

(प्रस्तर 2.2.16)

- आठ इकाइयाँ ग्राहकों को कार्य हस्तान्तरित करने के उपरान्त ग्राहकों के खाते बन्द करने में विफल रही जिससे ₹10.77 करोड़ की अव्ययित शेष राशि सम्बन्धित ग्राहकों को वापस नहीं की जा सकी।

(प्रस्तर 2.2.49)

2.3 दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में मीटिंग प्रणाली पर लेखापरीक्षा

विद्युत वितरण प्रणाली में, विद्युत की मीटरयुक्त आपूर्ति सुनिश्चित करना ऊर्जा की क्षति/चोरी को रोकने हेतु अत्यंत महत्व रखता है। विद्युत अधिनियम, 2003 यह प्रावधान करता है कि कोई भी लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञाप्त क्षेत्र में बिना एक सही मीटर की स्थापना के विद्युत की आपूर्ति नहीं करेगा।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम नीचे वर्णित हैं:

- मीटर के क्रय की योजना में कमी से मार्च 2016 को समाप्त हुए विगत पांच वर्षों के दौरान 8.11 लाख और 10.43 लाख के मध्य मीटरों का अल्प क्रय किया गया। अग्रेतर,

कम्पनी ने परिकल्पित मीटर संख्या प्रदान करके कई गैर मीटरीकृत संयोजनों को मीटरीकृत करना। इसके परिणामस्वरूप, गैर मीटरीकृत संयोजनों की संख्या मार्च 2012 के अन्त में 10.67 लाख से बढ़कर मार्च 2016 के अन्त में 12.98 लाख हो गई।

(प्रस्तर 2.3.3 एवं 2.3.5)

- क्षतिग्रस्त कवरों हेतु परिवर्तनीय मीटर कवरों का क्रय न किये जाने से कम्पनी को मीटरों के कार्यात्मक दशा में होने के बावजूद, 3,03,038 एकल/तीन फेज मीटरों के प्रतिस्थापन पर ₹ 21.64 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

(प्रस्तर 2.3.10)

- शहरी शेडयूल (10 घण्टों से अधिक की विद्युत आपूर्ति) से आपूर्ति पाने वाले निजी नलकूप उपभोक्ताओं का बिल ग्रामीण आपूर्ति के लिए लागू दरों पर किये जाने से राजस्व निर्धारण ₹ 17.81 करोड़ से कम किया गया।

(प्रस्तर 2.3.23)

- घटते हुए बाजार मूल्यों का फायदा उठाने के लिए 2.60 लाख एकल फेज मीटरों के क्रय हेतु नयी निविदा आमंत्रित करने के बजाय पूर्व के दरों पर पूरक आदेश जारी किये जाने से कम्पनी को ₹ 1.86 करोड़ की हानि हुयी।

(प्रस्तर 2.3.7)

- कम्पनी के सामग्री प्रबन्धन अनुभाग द्वारा उद्धृत दरों की अंतर-मंडल तुलना करने में विफलता से कार्य को उच्चतर दरों पर प्रदान करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.74 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(प्रस्तर 2.3.20)

- कम्पनी ने अनंतिम मीटर रीडिंग और बिल जारी करने हेतु आपेक्षित आधी दर के विरुद्ध पूरी दर से भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.48 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

(प्रस्तर 2.3.21)

2.4 उत्तर प्रदेश जल निगम के निर्माण एवं परिकल्प सेवायें खण्ड द्वारा चयनित नगरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के निर्माण पर लेखापरीक्षा

भारत सरकार (जीओआई) द्वारा अधिसूचित नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं रखरखाव) नियम, 2000 द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को अपने क्षेत्रों में नगर निगम के नगरीय अपशिष्ट के प्रबंधन एवं रखरखाव को विनियमित करने के लिए नामित किया गया। जीओआई ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में 27 नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के (एमएसडब्ल्यूएम) निर्माण के लिए ₹ 419.61 करोड़ की स्थीकृति (सितम्बर 2006 से जनवरी 2011) प्रदान की। उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने उत्तर प्रदेश जल निगम को इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था नामित किया (दिसम्बर 2007)। निगम ने निर्णय लिया (मार्च 2008) कि ये परियोजनायें उसकी सी एण्ड डीएस खण्ड द्वारा क्रियान्वित की जायेंगी। सी एण्ड डीएस ने एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर करने का निर्णय लिया (अप्रैल 2008)।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम नीचे वर्णित हैं:

- सत्ताईस नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एमएसडब्ल्यूएम) परियोजनाओं में से केवल 11 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं को ही सी एण्ड डीएस द्वारा तीन से पाँच वर्ष तक से अधिक विलम्ब के साथ पूर्ण किया जा सका। शेष 16 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनायें चार से आठ वर्षों तक से अधिक के विलम्ब के बाद भी अभी तक अपूर्ण थे।

इस प्रकार, 16 अपूर्ण परियोजनायें जिन पर ₹ 173.58 करोड़ निवेशित था, अवरुद्ध/अलाभकारी पड़े थे और स्वीकृति प्राप्त होने के पाँच से नौ वर्ष बीत जाने पर भी, इन 16 नगरों के 18.31 लाख टन नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) के वैज्ञानिक निपटान के एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

(प्रस्तर 2.4.2 एवं 2.4.3)

- भूमि उपलब्ध न होने के कारण तीन एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के लिए अधिप्राप्त उपकरण एवं वाहन पर किया गया व्यय ₹ 3.23 करोड़ अवरुद्ध रहा क्योंकि तीन एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के लिए परियोजना स्थल उपलब्ध नहीं थे।

(प्रस्तर 2.4.10)

- विकासकर्ताओं द्वारा 11 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं का परित्याग करने के कारण उनकी अवसंरचना पर किया गया ₹ 126.50 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। पाँच चयनित परियोजनाओं में ₹ 99.54 करोड़ का व्यय कम्पोस्ट संयंत्र एवं सैनिट्री लैंडफिल (₹ 50.01 करोड़) के निर्माण, उपकरण एवं वाहन के अधिप्राप्ति (₹ 36.96 करोड़) एवं अन्य विविध व्यय (₹ 12.57 करोड़) पर किया गया। दो अपूर्ण एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं (लखनऊ एवं पिलखुआ) पर ₹ 51.81 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

(प्रस्तर 2.4.11 एवं 2.4.12)

- अननुमन्य अतिरिक्त पूँजी अनुदान (सीजी) अवमुक्त करके, समानुपातिक सीजी निर्गत करने में विफलता से, अनियमित सीजी निर्गत करके, देय अनुमन्य सीजी का आंकलन किये बिना सीजी निर्गत करके, अनियमित मोबिलाइजेशन अग्रिम अवमुक्त करके, क्षतिपूर्ति जुर्माने एवं बीजकों से मूल्य संवर्धन कर की कम वसूली करके तथा कल्याण सेस की कम कटौती करके, विकासकर्ताओं को ₹ 91.12 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

(प्रस्तर 2.4.14, 2.4.15, 2.4.16, 2.4.17, 2.4.19, 2.4.20, 2.4.26 एवं 2.4.27)

2.5 उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा देयकों की वसूली पर लेखापरीक्षा

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (निगम) द्वारा सितम्बर 2007 तक 41,330 उधारकर्ताओं को ₹ 3,248 करोड़ का ऋण वितरित किया गया था, जिसमें से 31 मार्च 2016 तक 5,812 उधारकर्ताओं से ₹ 294.95 करोड़ के मूलधन के अतिरिक्त ₹ 29,762.37 करोड़² व्याज वसूली के लिए लम्बित था। चूंकि सितम्बर 2007 से निगम द्वारा ऋण की स्वीकृति रोक दी गयी थी, निगम का मुख्य क्रियाकलाप देयकों की वसूली ही रह गयी थी।

² व्याज ₹ 29,762.37 करोड़ 31 दिसम्बर 2015 तक

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम नीचे वर्णित हैं:

- निगम द्वारा देयकों की वसूली की प्रक्रिया का कर्मठता से अनुसरण नहीं किया गया था, क्योंकि उधारकर्ताओं को नोटिस निर्गत करने, समाचार पत्रों में विज्ञापन देने एवं बंधक परिसम्पत्तियों का भौतिक कब्जा लेने में विलम्ब हुआ, जिसके परिणामस्वरूप बन्धक परिसम्पत्तियों के विक्रय एवं बकाया मूलधन ₹ 68.48 करोड़ की वसूली में विलम्ब हुआ।

(प्रस्तर 2.5.7 से 2.5.12)

राज्य वित्तीय निगम (एसएफसी) अधिनियम की धारा 32जी के अंतर्गत वसूली प्रमाणपत्र (आरसी) निर्गत करने के अधिकार जीओयूपी से प्राप्त करने में विलम्ब के कारण निगम बकाया राशि की वसूली के लिए आरसी निर्गत कर उधारकर्ताओं का प्रभावी ढंग से अनुसरण नहीं कर सका। इसके परिणामस्वरूप, 1 अप्रैल 2011 को लम्बित ₹ 83.45 करोड़ बकाये की वसूली के लिए कुल 1,069 आरसी में से, केवल ₹ 1.17 करोड़ ही वसूल किये जा सके।

(प्रस्तर 2.5.14)

- निगम 2011–12 से 2015–16 तक सभी पाँच वर्षों में वसूली के लक्ष्यों की प्राप्ति में विफल रहा। देयकों की वसूली 2011–12 में ₹ 46.13 करोड़ से घट कर 2015–16 में ₹ 25.54 करोड़ रही।

(प्रस्तर 2.5.5)

- आठ प्रकरणों में एक मुश्त समाधान का अन्तिमीकरण बंधक परिसम्पत्तियों के मूल्य से कम पर करने के परिणामस्वरूप निगम को ₹ 2.68 करोड़ की हानि हुयी।

(प्रस्तर 2.5.17)

2.6 उत्तर प्रदेश राज्य सङ्क परिवहन निगम की कार्यात्मकता पर निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुसरण लेखापरीक्षा

उत्तर प्रदेश राज्य सङ्क परिवहन निगम की अप्रैल 2004 से मार्च 2009 की अवधि की कार्यात्मकता पर निष्पादन लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की मार्च 2009 के अंत के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) के अध्याय-III के प्रस्तर 3.1 में दर्शाया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा पर सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा अभी तक (अक्टूबर 2016) चर्चा नहीं की गयी है।

निष्पादन लेखापरीक्षा में सात संस्तुतियाँ सम्मिलित थीं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य सङ्क परिवहन निगम (निगम) / जीओयूपी द्वारा स्वीकार कर ली गयीं थीं। अनुसरण लेखापरीक्षा ने अनावृत किया कि निगम द्वारा एक संस्तुति का अनुपालन किया गया एवं छ: स्वीकार की गयी लेखापरीक्षा संस्तुतियों का अनुपालन निगम के साथ-साथ जीओयूपी द्वारा अभी भी किया जाना था क्योंकि पूर्व में संज्ञान में आयी कमियां अभी भी विद्यमान थीं जैसा कि नीचे वर्णित है:

- निगम द्वारा गैर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बस संचालन में वृद्धि के लिए न कोई योजना बनायी गयी और न ही कोई कार्यवाही की गयी।

(प्रस्तर 2.6.4)

- निगम ने बकायों की समय से वसूली के लिए कार्य योजना नहीं बनायी। इसके कारण मार्च 2016 तक लम्बित कुल बकाया राशि ₹ 83.02 करोड़ में से अक्टूबर 2016 तक मात्र ₹ 46.58 करोड़ की बकाया राशि ही वसूल हो सकी।

(प्रस्तर 2.6.5)

- निगम गैर यातायात स्रोतों से राजस्व हस्तगत करने के लिए सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं को लाने में असफल रहा।

(प्रस्तर 2.6.6)

- जीओयूपी ने न तो राष्ट्रीय परिवहन नीति के आधार पर कोई राज्य परिवहन नीति बनायी और न ही ऐसा करने के लिए कोई कदम उठाया।

(प्रस्तर 2.6.9)

- जीओयूपी ने निगम के मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति कम से कम तीन वर्षों के लिये 1994 में निर्गत नीति दस्तावेज के प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया क्योंकि प्रबंध निदेशक का कार्यकाल 18 दिनों से एक साल नौ महीने एवं 19 दिनों तक बदलता रहा।

(प्रस्तर 2.6.10)

- जीओयूपी ने स्वतंत्र परिवहन नियामक की नियुक्ति नहीं की, यद्यपि लेखापरीक्षा की यह संस्तुति जीओयूपी द्वारा स्वीकार की गई थी।

(प्रस्तर 2.6.11)

3. संव्यवहार लेखापरीक्षा प्रेक्षण

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये संव्यवहार लेखापरीक्षा प्रेक्षण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धन में कमियों पर प्रकाश डालते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव निहित थे। इंगित की गयी अनियमिततायें मुख्यतः निम्नलिखित प्रकृति की थीं:

- उपभोक्ताओं/ठेकेदारों को ₹ 48.46 करोड़ मूल्य के अनुचित लाभ के चार प्रकरण थे।

(प्रस्तर 3.1, 3.4, 3.5 एवं 3.6)

- सांविधिक दायित्वों के उल्लंघन के ₹ पाँच करोड़ मूल्य के पाँच प्रकरण थे।

(प्रस्तर 3.2, 3.3, 3.8, 3.9 एवं 3.11)

- त्रुटिपूर्ण/दोषपूर्ण नियोजन के परिणामस्वरूप ₹ 8.32 करोड़ की हानि के दो प्रकरण थे।

(प्रस्तर 3.7 एवं 3.10)

कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तरों का सारांश निम्नवत है:

- उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीआरएनएन) ने बिना वास्तविक माप लिये तदर्थ आधार पर अग्रिम प्रदान कर ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुँचाया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.03 करोड़ के अग्रिम एवं ₹ 6.72 करोड़ के ब्याज की वसूली नहीं हो पायी।

(प्रस्तर 3.5)

- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीयूवीवीएनएल) ने कैप्टिव एण्ड नॉन कन्वेन्शनल एनर्जी (सीएनसीई) विनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में बैंक की गयी ऊर्जा के समायोजन को स्वीकार करके उपभोक्ता को ₹ 24.96 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया।

(प्रस्तर 3.1)

- यूपीआरएनएन ने ठेकेदार को किये गये कार्य के वास्तविक मूल्य से ज्यादा भुगतान के कारण ₹ 6.63 करोड़ की हानि वहन की।

(प्रस्तर 3.6)

- यूपीआरएनएन ने कार्यों पर किये गये व्यय पर 6.875 प्रतिशत के बजाय 11.50 प्रतिशत की दर से सेन्टेज का लेखांकन किया। परिणामस्वरूप, इसने अननुमन्य सेन्टेज आय पर ₹ 5.39 करोड़ के आयकर का भुगतान किया।

(प्रस्तर 3.7)

- उत्तर प्रदेश जल निगम मिट्टी का विक्रय उसी जगह पर करने में विफल रहा एवं मिट्टी के निस्तारण पर ₹ 2.93 करोड़ का परिहार्य व्यय किया। यहां मिट्टी के विक्रय से ₹ 75.23 लाख का राजस्व प्राप्त करने का अवसर भी खोया।

(प्रस्तर 3.11)

- पीयूवीवीएनएल ने उपभोक्ता को एचवी-2 श्रेणी में प्रवसन करने में अत्यधिक विलम्ब करने के कारण ₹ 1.38 करोड़ के राजस्व की हानि वहन की।

(प्रस्तर 3.2)